B.A. PART-III
8th PAPER

(1)

Q. 1935 ई० की अधीनियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें ?

उत्तर राष्ट्रीय जागरण का उत्तरोत्तर विकास होने के साथ ही भारत मे सुधार की माँग भी की जाने लगी। कॉग्रेस पहले सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाकर विनम्र शब्दो मे सुधार की माँग पेश करती थी। परंतु 20 वी शदी के प्रथम वर्ष मे कांग्रेस के युवा वर्ग मे इस सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा और संवैधानिक सुधार के स्थान पर स्वराज्य की माँग की जाने लगी। सरकार दमनात्मक शक्ति के बल पर राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने लगी। परंतु सरकारी दमन नीति के विरोध मे उग्रवादियों और आंतकवादीयो का आक्रोश बढ़ा। साथ ही सरकारी अधिकारियों की हत्या और खजानों की लुटने की संख्या भी बढ़ी। सरकार संवैधानिक सुधार लाने के उद्देश्य से पहले 1909 ई० और पुनः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ई० में भारत सरकार अधिनियम पास कर शासन मे भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। परन्तु राष्ट्रीय कॉग्रेस ने इन सुधारो को अप्रर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण घोषित किया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत की राजनीतिक परिस्थिति की उपज थी। जैसे :— सविनय अवज्ञा आंदोलन — 1930

i) रौलेट एक्ट :— 1919

ii) असहयोग आंदोलन :— 1921

Scanned with CamScanner

iii) स्वराज दल :— 1923

iv) साइमन कमीशन :— 1927

v) नेहरू रिपोर्ट (मोती लाल नेहरू) :— 1928

vi) (मि० एटली) ब्रिटेन प्रधानमंत्री :— 1946

vii) तीनों गोलमेज सम्मेलन (Round table Conference) :— 1930, 31, 32

viii) मुडीमैन की अध्यक्षता में कमिटी जो द्वैध शासन की असफलता का कारण है ~~—~~ 1935 के ~~अधिनियम की विशेषताएँ~~

1935 के अधिनियम की विशेषताएँ

i) भारत के एकात्मक शासन को संघीय शासन में लाया।

ii) प्रस्तावना का अभाव।

iii) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कमी नहीं की गई।

iv) अखिल भारतीय संघ।

v) विषयों का विभाजन (जैसे :— केन्द्रीय सूची (संघीय सूची (59)), प्रांतीय सूची (54) — एवं समवर्ती सूची) (36)

vi) केंद्र में द्वैध (द्वैशी) शासन जारी। (Dyarchy)

vii) प्रांतीय स्वशासन। (Provincial Autonomy)

viii) संघीय विधायिका की शक्ति सीमित करना।

ix) संघीय न्यायालय।

x) विधानमंडल के अधिकार एवं मताधिकार में विस्तार।

xi) भारतीय परिषद की समाप्ति या संघीय कार्यपालिका

xii) साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति।

xiii) आरक्षण एवं संरक्षण (अल्पसंख्यकों के लिए)

xiv) वर्मा को भारत से अलग, बरार को मध्यप्रांत के जाल ~~क~~

Scanned with CamScanner

पहली नजर मे 1935 का अधिनियम 1919 की तुलना मे अधिक रचनात्मक एंव सुधारवादी था। इसलिए तो प्रो० कुपलैंड ने कहा कि इस प्रकार भारत के भाग्य का स्थानांतरण अंग्रेजो के हाथ से भारतीयो के बीच मे संभव कर दिया गया और इसे एक बेहतर दस्तावेज की संज्ञा दी गई।

1935 ई० के अधिनियम की आलोचनाएँ :— 1935 के अधिनियम मे औपनिवेशिक स्वराज का कोई उद्देश्य नही था। यह अधिनियम ऊपर से देखने मे लोकतांत्रिक था परन्तु भीतर से खोखला था। यह अधिनियम भारतीय जनता की हितो की रक्षा नही करती थी बल्कि ब्रिटीश साम्राज्य के लिए एक सुरक्षा कवच था। अतः इस अधिनियम के निम्नलिखित दोष थे जिनकी जमकर आलोचना की गई।

i) जनमत की अवहेलना :— आम भारतीय जनता 1935 के अधिनियम से संतुष्ट नही थी। उनमे आशा के बदले निराशा की भावना थी। प्रमुख दलो के राजनीति के द्वारा इस अधिनियम की कटु आलोचना की गई। डा० राजन प्रसाद ने राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मे अध्यक्ष पद के इस अधिनियम की तीव्र की। उन्होने कहा था कि यह एक प्रकार का संघ है। जिससे भारत के एक तिहाई राज्य पर निर्लज स्वेच्छाचारी राज्य सुरक्षित रहेगा और समय-समय पर अपनी झाँकी देता रहेगा। शेष दो-तिहाई भाग में जनमत का गला घोटा जायेगा।

ii) विभिन्न दलो मे असंतोष :— 1935 के अधिनियम की आलोचना भारत के सभी प्रमुख दलो के द्वारा की गई। मुस्लिम समाज अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए

Scanned with CamScanner

केवल प्रांतीय योजना को स्वीकार की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यो ने अपने फैजपुर अधिवेशन मे इस अधिनियम की खुलकर आलोचना की और निर्वाचन मे भागलेकर इसे नष्ट करने का निर्णय लिया था। असंतोष का मुख्य कारण संरक्षण एंव अभिरक्षण की व्यवस्था थी जिसके कारण किसी भान्य एंव उत्तरदायित्व शासन की आत्मा का हनन होना था।

iii) **गर्वनर जनरल एंव गवर्नरो के विशेषाधिकार :—** गर्वनर जनरल और प्रांतीय गर्वनरो को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने की शक्ति थी। वे व्यवस्थापिका सभा द्वारा पारित अधिनियमो को न केवल समाप्त ही कर सकते थे। मंत्रियो के इच्छा के विरुद्ध वह कुछ भी कर सकते थे। नागरिको के स्वतंत्रता को कुचल सकते थे।

iv) **नौकरशाही की निरंकुशता :—** ब्रिटीश सरकार नौकरशाही की व्यवस्था पर आधारित थी। बड़े-बड़े सैनिक और असैनिक अधिकारियो के विरुद्ध मंत्रियो को निर्णय लेने का कोई अधिकार नही था। नौकरशाह पथ प्रदर्शन के लिए मंत्रियो के बदले गर्वनर या गवर्नर जनरल की तरफ देखते थे। केन्द्र और प्रांत मे ऐसी ही शासन को चलाने की आशा की जा सकती थी।

v) **अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्थापना :—** प्रो० के०टी० साह के शब्दो मे 1935 के विधान के अनुसार स्वायत्तता एक भूत की छाया थी, जो ऐसी लोगो को, जो उससे परिचित नही रहे, अवश्य भयभीत करता था। यह भारतीय

Scanned with CamScanner

जनता को वास्तविक सत्ता न सौंपने की अंग्रेजी साम्राज्यवाद का एक बहाना मात्र था।

vi) नागरिको के मौलिक अधिकारो का आभाव :— 1935 के विधान मे भारतीय अधिनियम की मौलिक अधिकारो की कोई चर्चा नही की गई थी। भारतीयो को आत्म निर्णय लेने का अधिकार नही था। इस विधान मे राष्ट्रीय भावनाओ पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया था इसलिए यह अधिनियम भारतीयो के लिए निराशाजनक एंव असंतोष सावित हुआ।

vii) दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था :— 1935 के अधिनियम मे प्रस्तावित संघ योजना दोषपूर्ण थी। संघ राज्य की स्थापना जनता के अनुसार की जाती है और वे सम्प्रभु होते हैं परन्तु भारतीय संघ की योजना विचित्र ढ़ग से की गई थी। इसलिए तो इसे दासँता का एक नया चाटर कहा गया था।

viii) साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का विकास :— 1935 के विधान मे पहले की अपेक्षा साम्प्र चुनाव प्रणाली को और अधिक विकसित किया गया था। इसके पिछे अंग्रेजो की राजनीतिक (पुरानी) चाल थी। वे फुट — डालो और राज करो मे विश्वास रखते थे। अतः मुसलमानो के अतिरिक्त सिक्खो, हरिजनो, भारतीय इसाईयो, आंग्ल भारतीयो को भी साम्प्रदायित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था इसमे हिन्दू समाज से अलग करके हरिजन को बहुसंख्यको के बीच फूट पैदा करने के लिए एक कुटनितिक चाल चली गई थी। साम्प्रदायिक

Scanned with CamScanner

प्रतिनिधित्व भारत की राजनीतिक एकता को नष्ट करने वाला था। इससे भारत का जीवन अस्तव्यस्त हो गया था। भारत विभाजन की आधारशिला साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माध्यम से भारत मे तैयार कर दी गई थी।

ix) आत्मनिर्णय का अधिकार :— 1935 ई० के अधिनियम मे भारतीयो को आत्मनिर्णय का अधिकार नही दिया गया था। भारतवासी न तो संविधान का निर्माण कर सकते थे और न ही प्रस्तावित विधान मे संशोधन या परिवर्तन कर सकते थे। विधान मे प्रगति या परिवर्तन करने का अधिकार ब्रिटीश संसद और भारत संचिव को दिया गया था। भारत पर ब्रिटीश संसद और भारत - सचिव का नियंत्रण पहले की भाँति कायम रहा था। एटली के अनुसार इस अधिनियम में भारत की भविष्य प्रगति की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नही था।

x) उत्तरदायी शासन का प्रभाव :— केंद्र व प्रांतो मे पूर्णरूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 ई० के एक्ट द्वारा नही की गई थी। हॉलाकी द्वैद शासन प्रांतो मे जब असफल रहा था तब उस हालात मे 1935 ई० मे केंद्र मे द्वैद शासन लागू करने का तार्किक आधार नही था। केन्द्र में गर्वनर जनरल को कार्यपालिका, विधाईका और वित्तिय संबंधी शक्तियाँ इतनी अधिक थी कि वह परिस्थिति विशेष मे निरंकुश तानाशाह की तरह काम करता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका का संगठन भी प्रतिक्रियावादी था। उसमे सामाज

Scanned with CamScanner

के चुनी और प्रतिस्ठित वर्ग की प्रधानता थी। संघीय व्यवस्थापिका का कोई स्वतंत्र वैधानिक अधिकार नही था। प्रांतो मे गर्वनर को एकाधिकार प्राप्त था। सुरक्षा और संरक्षण के कारण स्वशासन या उत्तरदायी शासन की स्थापना नही हो सकी थी।

xi) भारत सचिव की स्थिति :— 1935 ई० के एक्ट में भारत सचिव के अधिकार मे कटौती की गई थी। भारत-सचिव के नियंत्रण, निरक्षण और निर्देशन का अधिकार समाप्त कर दिया गया था परंतु भारत-सचिव के वास्तविक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ था वह गवर्नर जनरल, असैनिक अधिकारियों और संरक्षण संबंधी बिषयो पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। वह ब्रिटीश सरकार के शक्तियों के प्रयोग कर सकते थे। भारत सचिव किसी विधेयक पर रोक लगा सकता था। संक्षेप मे भारत सचिव पूर्व शक्तिशाली बना रहा।

xii) राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा :— 1935 के विधान मे राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा की गई थी। अखिल भारतीय सेवा, सैनिक सेवा इत्यादि पर ब्रिटेन सरकार का अधिकार सुरक्षित था। ब्रिटीश सम्राट एंव संसद के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता था, गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रांतीय स्वशासन का रूप भी खोखला था। प्रशासन पर नौकरशाही का वर्चस्व था। प्रशासनिक ढ़ाँचा मे कोई परिवर्तन नही हुआ था, नौकरशाहो का दृष्टिकोण भी बदला नही था। ऐसे मे जनवादी शासन और राष्ट्रीय हितो की सुरक्षा

Scanned with CamScanner

सुदृढ़ नही हो सकी।

1935 का एक्ट 1919 कि तुलना मे एक अच्छा कदम था परंतु ब्रिटीश सरकार प्रांतो मे उत्तरदायी शासन की स्थापना नही चाहती थी। उत्तरदायी शासन या पूर्ण स्वराज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर स्वायत शासन को केवल दिखावा की वस्तु बना दी गई थी। फलत: व्यवहारिक धरातल पर उसका खोखलापन शीघ्र ही स्पष्ट हो गया।